

नई शिक्षा नीति में विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों के लिए नई स्कूल नीति में नवीनतम प्रावधान

सुश्री प्रवीणा^{1*}, जसविंदर मलिक², श्रीमती संध्या रानी³

¹ सहायक प्राध्यापक मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय

ईमेल: Peerunagil@gmail.com

² सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा

ईमेल: Jasvindermalik93@gmail.com

³ सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा

ईमेल: sandhya@apmi.in

सार - नई शिक्षा नीति 2020, जुलाई 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, "बाधा-मुक्त" को प्रोत्साहित और बढ़ावा देता है दिव्यांग सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंचा।" भारत की पहली शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभ की गई तथा 1992 में अंतिम बार संशोधित की गई। तब से, भारत को अपनी संपूर्ण शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता थी, नई शिक्षा नीति उन बहुप्रतीक्षित नए सुधारों का वर्णन करती है जिनकी भारत को तलाश थी। इस तरह की नई स्कूल नीति के तहत उन परिवार तथा उन परिवार के दिव्यांग बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उनके अनुकूलित हो एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति दिव्यांग छात्रों हेतु एक नई सोच को लेकर आई है जिसके माध्यम से दिव्यांग छात्र छात्राएं बाधा मुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने हेतु 2 नियमों पर सबसे अधिक जोर डालती है की इनके लिए पठन-पाठन की सामग्री इनके अनुकूलित हो तथा पढ़ाने के तरीके में भी विशिष्ट प्रकार की शिक्षण नीतियों का प्रयोग किया जाए। दिव्यांग छात्रों को प्री-स्कूल और प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचने में सबसे ज्यादा बाधा दिखाई देती है। 47% से कम स्कूल भवनों में रैंप हैं, और केवल लगभग 27% स्कूलों में हैं सुलभ शौचालय, इनके अलावा ऐसी और भी बाधाएं हैं जो अनेकों स्कूलों में देखने को मिलती हैं छात्रों को कक्षा कक्ष में बैठने का उचित प्रबंध नहीं है तथा इसके साथ-साथ भवन में आवागमन करने का सही स्थान भी उपलब्ध नहीं है दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हमारे आसपास हैं इन सभी को शिक्षा में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चे एक समान रूप से शैक्षिक प्रणाली के प्रत्येक पहलू में भाग ले सकेंगे तथा सभी प्रावधानों के अनुसार हर प्रकार की सुविधा ले सकेंगे इसके साथ-साथ दिव्यांग संपूर्ण समुदाय में आवागमन भी एक सामान्य जन की तरह करने में सक्षम होंगे शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में दिव्यांगों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पत्र नई शिक्षा में दिए गए प्रावधानों पर केंद्रित है दिव्यांगजनों के लिए नीति 2020 यह दर्शाने के लिए कि कैसे उनके लिए शिक्षा उन तक पहुंचने के लिए बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए। यह दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का भी एक कदम है।

बिन्दु - दिव्यांगता, एनईपी 2020, क्षति, बाधा मुक्त वातावरण, इनइक्वालिटी, अधिनियम

----- X -----

परिचय

2030 तक, एनईपी 2020 का उद्देश्य "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और अवसरों को प्रोत्साहित करना है।" सभी के लिए आजीवन सीखने के लिए। "सहायक उपकरण, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरण और भाषा-उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री होगी एनईपी में इस नए अतिरिक्त को समायोजित करने के लिए सुलभ बनाया गया। एनआईओएस को शिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले माँड्यूल भी मिलेंगे भारतीय सांकेतिक भाषा और भारतीय सांकेतिक भाषा में अन्य मुख्य विषय। क्योंकि RPWD अधिनियम 2016 द्वारा परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों, गंभीर या बहुदिव्यांगता वाले छात्रों के पुनर्वास और शैक्षिक आवश्यकताएं का विकल्प होगा विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित या विशेष स्कूल, संसाधन केंद्र, साथ ही विशेष शिक्षक और प्रशिक्षक उपलब्ध होंगे। NEP 2020 के तहत स्कूलों और स्कूल के मैदानों को बच्चों को शामिल करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान की जाएगी दिव्यांग और ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए तैयार विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति। राज्यों को धन मुहैया कराया जाएगा महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करना (जैसे, शौचालय बनाना, साफ-सफाई, साइकिल, और अधीन नकद हस्तांतरण)। भारत ने साल 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की थी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी। 1986 में, दूसरी को अपनाया गया था। इनमें से किसी में भी दिव्यांग का जिक्र नहीं था। अनेक जब भारत ने 2020 में एक नई शिक्षा नीति लागू की, जिसे मान्यता दी गई और शामिल किया गया, तो उद्योग में दिव्यांगता का उत्साह था। इस नीति में कई दिव्यांग कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में शामिल किए जाने की प्रशंसा की है। हालाँकि, निजीकरण 2020 में अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केंद्र में है। दिव्यांग व्यक्ति समाज से अलग नहीं हैं बल्कि इस देश की सामान्य आबादी का सदस्य है। हर कानून जब पारित हुआ, या नीति अपनाने का उन पर प्रभाव पड़ता है। हम सबका साथ दिव्यांग व्यक्तियों की सभी बाधाओं को दूर कर सकता है।

संक्षिप्त इतिहास

इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि 1869 में भारत में चर्च मिशनरी सोसाइटी ने दिव्यांगजनों के लिए औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की थी। ईमानदार होने के लिए, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा अभी भी धर्मार्थ संगठनों पर निर्भर है। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थान बहुत कम हैं। नतीजतन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विशाल बहुमत गैर-सरकारी संगठनों के विशेष विद्यालय महानगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं। भले ही नीति वक्तव्य में समानता, इक्विटी और समावेशन जैसी अवधारणाएं कई बार दिखाई देती हैं, लेकिन हैं एक अक्षमता कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से अनेक कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। उनमें से एक सुझाव है कि स्कूलों को एक स्कूल परिसर बनाने के लिए एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए। एनईपी के अनुसार, स्कूल परिसर में एक शामिल होगा माध्यमिक विद्यालय के साथ-साथ 5-10 किमी के दायरे में अतिरिक्त विद्यालय और आंगनवाड़ी। शैक्षणिक संस्थानों के निजीकरण का दिव्यांग समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? आरपीडी अधिनियम के तहत केवल सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दिव्यांगता और गरीबी का अटूट संबंध है। नतीजतन, शिक्षा को महंगा बनाना वस्तु का दिव्यांग आबादी के साथ-साथ अन्य हाशिए पर रहने वाले लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। हम में से कई बच्चों के रूप में पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना याद करते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि पंचतंत्र की रचना की गई थी तीन "कमजोर" राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए; दूसरों का सुझाव है कि भारतप्राचीन काल में भी मानसिक रूप से अक्षम लोगों को शिक्षित करने में रुचि रखता था। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि राजा के नर बच्चों के लिए पंचतंत्र की स्थापना की गई थी, जो अनपढ़ होने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्या यह सच है कि शिक्षा के अवसर नियमित परिवारों के दिव्यांग बच्चों को समकक्ष सुविधा उपलब्ध है? यदि NEP 2020 को वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाता है, तृतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार वित्तीय आवंटन हाल के वर्षों में, भारत ने शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, विशेष रूप से शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मामले में और छात्र नामांकन। 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विशेष रूप से ऊपरी में नामांकन बढ़ाने में लाभकारी रहा है प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8)। देश भर में 2009 और 2016 के बीच, उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वच्छता और सुरक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन ने भी देश के नामांकन में सहायता की है। 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत थी, मुसलमानों की साक्षरता दर 68.5 प्रतिशत थी, और

अनुसूचित जाति के लोगों की साक्षरता दर लगभग 66 प्रतिशत थी। कई क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति के बावजूद भारत के शैक्षिक प्रणालियाँ अन्याय और बहिष्करण संबंधी कठिनाइयों का सामना करना जारी रखती हैं। अधिकांश ग्रामीण निवासियों के लिए भी वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के रूप में, एक अच्छी शिक्षा तक पहुंच एक सपना ही बना हुआ है। उच्च शिक्षा में क्षेत्र, यह बहुत अधिक गंभीर है।

एनईपी 2020 में असमानता की खाई को पाटना राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली की बढ़ती असमानता को दूर करना है अन्याय। एनईपी 2020 सामाजिक आर्थिक स्तर और वंचित अल्पसंख्यकों के बीच महत्वपूर्ण ड्रॉपआउट दर को पहचानता है, अन्य बातों के अलावा। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, बाधाएं जो अकुशल संसाधन आवंटन में योगदान करती हैं, जैसे छोटे स्कूल परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की कम भागीदारी के कारणों को पहचाना जा रहा है। यह हाइलाइट भी करता है दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की पूरी न की गई शैक्षिक आवश्यकताएं।

दिव्यांगजन - दिव्यांग व्यक्ति

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 अरब लोग 'दिव्यांग' हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। आबादी इस दौर में जहां 'समावेशी विकास' को टिकाऊ के उचित मार्ग के रूप में रेखांकित किया जा रहा है विकास, NEP 2020 मिशन दिव्यांग लोगों के शैक्षिक पुनर्वास के लिए कदमों को लागू करने पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करना कि सभी संरचनाएं और सुविधाएं वहीलचेयर की पहुंच योग्य और दिव्यांगता के अनुकूल हैं दिव्यांग व्यक्तियों/दिव्यांगों के लिए एक सेल की स्थापना, जिसमें से प्रतिनिधि शामिल होंगे प्रशासन, शिक्षक और छात्र भाषा की बाधाओं को दूर करने और अधिक प्रदान करने के लिए शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग दिव्यांग छात्रों के लिए अवसर पुस्तकों और सॉफ्टवेयर की उचित मात्रा की गारंटी के लिए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना जो दिव्यांग लोगों की आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप हैं दिव्यांग अध्ययन केंद्र की शुरुआत की गई है दिव्यांग लोगों के लिए एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।

विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की पहचान

नीति असाधारण जरूरतों वाले बच्चों को स्वीकार करती है और नियमित शिक्षा में उनके समावेश की वकालत करती है सिस्टम। यह काफी हद तक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016 के लक्ष्यों के अनुरूप है। रणनीति सभी स्कूल परिसरों में विशेष शिक्षकों को नियुक्त करने की भी इच्छा रखती है ताकि निर्देश अधिक समावेशी और हो बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील। अर्हक दिव्यांग बच्चों को होम-स्कूलिंग और वसीयत चुनने की अनुमति होगी योग्य होम-स्कूलिंग प्रशिक्षकों के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए ताकि वे अध्ययन करना जारी रख सकें और महानतम से लाभान्वित हो सकें शैक्षिक अवसर उपलब्ध। बच्चों में सीखने की कठिनाइयों को जल्दी पहचानने के लिए शिक्षकों को भी शिक्षित किया जाएगा और बच्चों को उनके भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सीखने की चुनौतियों के साथ सहायता करने के लिए। पारख, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, बच्चों के लिए समान मूल्यांकन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए स्थापित किया जाएगा सीखने की कठिनाइयों के साथ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के तरीकों की सिफारिश की जाती है। हालांकि, इस मोर्चे पर, एनईपी अत्यधिक महत्वाकांक्षी और यूटोपियन दिखती है। यह इस वास्तविकता की उपेक्षा करता है कि न केवल अधिकांश हैं प्रशिक्षक इस तरह के विशेष कार्यों के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अधिकांश भारतीय स्कूलों में कर्मचारियों की भारी कमी है। रणनीति यह भी उल्लेख नहीं करता है कि यह व्यक्तिगत-सुलभ वैकल्पिक होम-स्कूलिंग सिस्टम बनाने का इरादा कैसे रखता है। दिल्ली बाल अधिकार आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित एक परीक्षा में, 60 प्रतिशत स्कूलों ने न होने का दावा किया दिव्यांग विद्यार्थियों, जबकि अन्य 28 प्रतिशत ने 1% से कम होने की सूचना दी। यह जोर देता है कि दिव्यांग लोग उन लोगों की तुलना में खराब सामाजिक आर्थिक परिणाम होने की अधिक संभावना है जिनके पास हानि नहीं है। नई कार्यनीति में यह योजना शामिल नहीं है कि यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि इन लोगों की शिक्षा तक पहुंच हो। यह भी यह नहीं बताता कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीखने की समस्या वाले छात्र छूट न जाएं आज की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय शिक्षा प्रणाली।

विशेष शैक्षिक क्षेत्रों का निर्माण

विशेष शैक्षिक क्षेत्रों के निर्माण में ऐसे आबादी वाले स्थानों तथा दूरस्थ दूर दराज के स्थानों में शिक्षा को बढ़ावा देना है इस नीति के द्वारा एक नई अवधारणा के माध्यम से शैक्षिक पहुंच में सुधार करने की योजना है इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक आबादी वाले शहरी बस्ती क्षेत्रों को भी बढ़ावा देना है।

कार्यान्वयन के लिए कदम

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विशेष सेल के लिए संस्थाओं को बुलाया गया है। दिव्यांग छात्र (दिव्यांगजन, दिव्य शरीर के रूप में माना जाता है)। विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे स्वीकार करने के लिए संस्थान पहल का आयोजन करते हैं मानव अस्तित्व का तत्व। यह एक सम्मानजनक वातावरण को भी बढ़ावा देता है और दिव्यांगजन विद्यार्थियों की पहचान की रक्षा करता है। संस्थानों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी और क्षमताओं से प्रशिक्षकों को परिचित करना होगा ताकि अलग-अलग सक्षम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करें। यह शिक्षण को अधिक समावेशी और आवश्यकताओं के प्रति जागरूक भी बनाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता है ताकि उनके लिए भौतिक संसाधन एक संरचना के साथ पूरे किए जा सकें दिव्यांगजन छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाना।'

- दिव्यांगजन की विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षकों और छात्रों को शिक्षित करने के लिए।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए समावेशी रणनीतियों का उपयोग किया जाना
- उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सलाह और परामर्श देना।
- विश्व दिव्यांगता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिनों को मनाने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना
- दिव्यांगजन की क्षमता 2016 का अधिनियम पीडब्ल्यूडी के अनुपालन में एनईपी 2020 के तहत □

दिव्यांगजन छात्रों को आत्मनिर्भरता और रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना

- दिव्यांगजनों के लिए सहायक क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा

दिव्यांगजन रियायतों और सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना

- पुस्तकालय में ब्रेल पुस्तकें
- सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए लेखक
- काउंसलर जो छात्रों का मार्गदर्शन और समर्थन करते हैं
- विशिष्ट विद्या दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण
- विशिष्ट विद्या दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समय सीमा आवंटन
- दिव्यांगजन की जरूरतों के प्रति संवेदनशील कार्यशालाएं
- इमारतों तक आसान पहुंच के लिए रैंप
- लिफ्ट जो सीढ़ियों का उपयोग किए बिना इमारत में ऊपर और नीचे जाने में आसान बनाती है
- सीढ़ियों पर रेलिंग जो चलने में सहायता करेगी
- परिसर के भीतर आसान आवाजाही के लिए व्हीलचेयर
- सुलभ शौचालय

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 में महिलाओं अल्पसंख्यकों और विशिष्ट छात्रों जिनको विशेष जरूरतें हैं उन मुद्दों को संबोधित करने का अच्छा काम किया है इनमें कुछ ऐसे उत्साहित कार्य भी किए गए हैं जिनमें अनेक समस्याओं को समय-समय पर सुलझाया गया है जिनका संबंध दुर्गम क्षेत्रों और स्कूली शिक्षा से रहा है नई शिक्षा नीति में सामाजिक आर्थिक समूह को मिलाकर एक बेहतर तरह से सभी समस्याओं का समाधान किया गया है यह दलितों और आदिवासियों जैसे समूहों के लिए उपकार का एक

साधन बना है इस तरह जो विशेष अंग है उसके लिए सकारात्मक तथा उनके लिए अच्छी अवसर देने वाली नीति भी बनी है इस नीति में छात्रों को बाधा मुक्त वातावरण तथा गुणवत्ता से संबंधित समावेशन के साथ जोड़ा गया है।

सन्दर्भ

"नई शिक्षा नीति: पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

"नई शिक्षा नीति 2020 : स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन डिग्री में हुए बड़े बदलाव, जानें 20 खास बातें". हिन्दुस्तान लाइव. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.[मृत कड़ियाँ]

सिंह, प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020). "स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति". द क्विंट. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

"New Education Policy: अब केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक, फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकेंगे छात्र". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020.

Corresponding Author

सुश्री प्रवीना*

सहायक प्राध्यापक मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय

E-Mail –Peerunagil@gmail.com